



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263956
CG-DL-E-18062025-263956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 354]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

सा.का.नि. 397(अ).— वायुयान अधिनियम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार भारतीय वायुयान अधिनियम 2024(2024 का 16) की धारा 10,11,19,20,32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 34 की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाता है: तथा एतद्वारा यह सूचना दी जाती है उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के पश्चात विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक, नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकते हैं या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल किए जा सकते हैं;

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार.- (1) इन नियमों को वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम, 2025 कहा जाएगा और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और ये निम्नलिखित पर भी लागू होते हैं-

(क) ऐसे वायुयान जो भारत में पंजीकृत हैं या किसी ऐसे वायुयान पर जो ऐसे प्रचालक द्वारा प्रचालित हैं जिसके कारोबार का मुख्य स्थान या स्थायी निवास स्थान भारत में है, चाहे वे कहीं भी हों;

(ख) ऐसे सभी वायुयानों पर जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हों, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों पर जो भारत के भीतर या भारत के ऊपर भारत को या भारत से, वायु परिवहन सेवाओं का प्रचालन कर रहे हों और खतरनाक माल भेजने वालों पर या उनके एजेंटों पर; और

(घ) अभिनामित डाक ऑपरेटर पर।

2. परिभाषाएं और व्याख्या.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) से है;

(ख) "एजेंट" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो हवाई मार्ग से खतरनाक माल की दुलाई के संबंध में प्रचालक या शिपर की ओर से, जैसा भी मामला हो, प्रचालक या शिपर की जिम्मेदारियों को लेता है या किसी कार्य को पूरा करता है;

(ग) "सामान" का तात्पर्य ऑपरेटर के साथ किए गए समझौते के तहत विमान पर ले जाए जाने वाले यात्रियों या चालक दल के निजी सामान से है;

(घ) "कार्गो विमान" का तात्पर्य यात्री विमान के अलावा किसी ऐसे विमान से है, जो माल या संपत्ति ले जा रहा है;

(ङ) "चालक कर्मी दल सदस्य" का तात्पर्य किसी उड़ान झूटी अवधि के दौरान प्रचालक द्वारा विमान पर झूटी के लिए नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "खतरनाक सामान" से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं या पदार्थों से है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करने में समर्थ है और जिन्हें तकनीकी अनुदेशों में इस रूप में सूचीबद्ध हैं या जिन्हें तकनीकी अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है;

(छ) "खतरनाक माल दुर्घटना" से तात्पर्य हवाई मार्ग द्वारा खतरनाक माल के परिवहन से जुड़ी और उससे संबंधित घटना से है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घातक या गंभीर चोट लगती है या बड़ी संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है;

(ज) "खतरनाक माल घटना" का तात्पर्य है,-

(i) खतरनाक माल दुर्घटना से भिन्न, कोई ऐसी घटना, हवाई मार्ग द्वारा खतरनाक माल के परिवहन से जुड़ी और उससे संबंधित घटना, जो जरूरी नहीं कि विमान में ही घटित हो, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति पहुंची हो, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा हो या आग लगी हो, टूट-फूट हुई हो, रिसाव हुआ हो, तरल पदार्थ या विकिरण का रिसाव हुआ हो या पैकेजिंग में दोष के कारण कोई घटना घटित होती है; और

(ii) खतरनाक माल के परिवहन के कारण कोई घटना घटित होती है जो विमान या उसके यात्रियों को गंभीर जोखिम में डालती हो

(झ) "अभिनामित डाक प्रचालक" का तात्पर्य है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के सदस्य देश द्वारा आधिकारिक रूप से अभिनामित कोई सरकारी या गैर-सरकारी इकाई, जो डाक सेवाओं का संचालन करती है और (यूपीयू) कन्वेंशन के अपने क्षेत्र पर क्रिया कलापों से उत्पन्न संबंधित दायित्वों को पूरा करती है;

(ज) "महानिदेशक" से तात्पर्य महानिदेशक नागर विमानन है;

(ट) "छूट" का तात्पर्य है अनुलग्नकों और तकनीकी निर्देशों में निहित प्रावधानों से राहत प्रदान करने वाले किसी उपयुक्त राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अलावा जारी किया गया प्राधिकरण;

(ठ) "उड़ान कर्मी दल सदस्य" का तात्पर्य है लाइसेंस प्राप्त चालक दल का सदस्य, जिसे उड़ान झूठी अवधि के दौरान विमान के प्रचालन के लिए अनिवार्य कर्तव्यों सौंपे गए हों;

(ड) "मेल" का तात्पर्य है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के नियमों के अनुसार डाक सेवाओं द्वारा प्रस्तुत और वितरित किए जाने के लिए पत्राचार और अन्य वस्तुओं का प्रेषण;

(ढ) "प्रचालक" का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति, संगठन या उद्यम है जो विमान प्रचालन में लगे हुए या इसमें लगने के लिए प्रस्ताव करता है;

(ण) "ओवरपैक" का अर्थ है एक संलग्नक जिसका उपयोग एक शिपर द्वारा एक या अधिक पैकेज रखने के लिए किया जाता है तथा हैंडलिंग और स्टोवेज की सुविधा के लिए एक हैंडलिंग इकाई का निर्माण किया जाता है;

(त) "पैकेज" का अर्थ है पैकिंग प्रचालन का सम्पूर्ण उत्पाद जिसमें परिवहन के लिए तैयार पैकेजिंग और उसकी सामग्री शामिल है;

(थ) "पैकेजिंग" का तात्पर्य पात्र और कोई ऐसे अन्य संघटक या सामग्री से है जो इसके कंटेनमेंट कार्यकलाप को निष्पादित करने के लिए पात्र के लिए आवश्यक है;

(द) "यात्री विमान" का तात्पर्य ऐसे विमान से है जो विमान चालक दल के सदस्य, आधिकारिक क्षमता में प्रचालक के कर्मचारी, किसी उपयुक्त राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि या किसी माल या अन्य कार्गो के साथ जाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ले जाता है;

(ध) "पायलट-इन-कमांड" से तात्पर्य ऐसे पायलट से है जिसे प्रचालक द्वारा अभिनामित किया गया हो, या सामान्य विमानन की दशा में मालिक द्वारा इस रूप में अभिनामित किया गया है कि जो समादेशन करता हो और जिसे उड़ान के सुरक्षित प्रचालन का भार सौंपा गया हो;

(न) "गंभीर क्षति" से तात्पर्य ऐसी क्षति से है जो किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना में पहुंची हो और जिसकी वजह से:-

(क) 48 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है और यह अवधि क्षति पहुँचने की तारीख से सात दिन के भीतर प्रारम्भ होगी ; या

(ख) किसी प्रकार का अस्थि भंग जिसके परिणामस्वरूप कोई अस्थि (उंगलियों, पैर की उंगलियों या नाक के साधारण भंग के सिवाए) भंग हुई हो ; या

(ग) इसमें घाव शामिल हैं जो गंभीर रक्तस्राव, स्नायु, मांसपेशी या नस की क्षति का कारण बनते हैं; या

(घ) जिसमें किसी आंतरिक अंग को हुई क्षति शामिल है; या

(ड) जिसमें दूसरे या तीसरे दर्जे की जलन, या ऐसी कोई जलन शामिल है जिसमें शरीर की त्वचा पांच प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई है; या

(च) जिसमें संक्रामक पदार्थों या हानिकारक विकिरण के संपर्क में आना शामिल है;

(प) "शिपर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो तकनीकी अनुदेशों में शिपर की जिम्मेदारियों के लिए प्रदान किए गए किसी भी कार्य को करता है;

(फ) "मूल राज्य" का तात्पर्य उस राज्य से है जिसके क्षेत्र में खतरनाक माल की खेप को सबसे पहले विमान पर लोड किया जाना है;

(ब) "गंतव्य राज्य" का अर्थ उस राज्य से है जिसके क्षेत्र में माल को अंततः विमान से उतारा जाना है;

(भ) "प्रचालक का राज्य" का अर्थ है उस राज्य से है जिसमें प्रचालक का मुख्य कारोबार स्थान अवस्थित है या, यदि कारोबार का ऐसा कोई स्थान नहीं है, तो प्रचालक का स्थायी निवास स्थान;

(म) "तकनीकी अनुदेश" से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित और समय-समय जारी किए गए खतरनाक माल के सुरक्षित परिवहन के लिए जारी अनुदेश से है;

(य) "यूएन संख्या" का तात्पर्य किसी वस्तु या पदार्थ या वस्तुओं या पदार्थों के किसी विशिष्ट समूह की पहचान करने के लिए खतरनाक माल के परिवहन और रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग की वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति द्वारा समनुदेशित चार अंकों की संख्या से है ;

(कक) "यूनिट लोड डिवाइस" का अर्थ है किसी भी प्रकार का माल भाड़ा कंटेनर, विमान कंटेनर, जाल के साथ विमान पैलेट या ड्रलू के ऊपर जाल के साथ विमान पैलेट।

टिप्पणी 1.-ओवरपेक को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी 2.- रेडियो एक्टिव सामग्री के लिए माल भाड़ा कंटेनर को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में है।

3. खतरनाक माल का हवाई मार्ग द्वारा परिवहन - (1) कोई भी ऑपरेटर खतरनाक माल के परिवहन में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक कि खतरनाक माल ले जाने के लिए उसे प्रचालक के राज्य के वैमानिकी प्राधिकरण द्वारा अधिमानित नहीं किया गया हो:

बशर्ते कि, भारत में जहां भी ऑपरेटर का राज्य है, महानिदेशक खतरनाक माल के परिवहन के लिए ऑपरेटर को अधिप्रमाणित कर सकता है।

(2) इन तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए कोई भी प्रचालक और कोई भी व्यक्ति किसी भी विमान में भारत से, भारत के भीतर या उसके ऊपर किसी वायुयान में कोई खतरनाक माल नहीं ले जाएगा ऐसे विमान पर लदान के लिए परिदत्त नहीं करेगा या परिदत्त नहीं कराएगा:

बशर्ते कि विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत खतरनाक माल को किसी भी विमान में भारत से, भारत के भीतर या ऊपर नहीं ले जाया जाएगा, सिवाय इसके कि वह विमान नियम, 1937 के नियम 8 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में दी गई अनुमति के नियमों और शर्तों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ले जाया जाए:

इसके अलावा, आगे यह भी प्रावधान है कि जहां रेडियोधर्मी सामग्री के रूप में वर्गीकृत खतरनाक माल को किसी भी विमान में भारत से, भारत के भीतर या ऊपर ले जाया जाना है, प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रेषक या माल प्राप्तकर्ता,

जैसा भी मामला हो, के पास परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 16 के तहत ऐसे माल को ले जाने के लिए केंद्रीय सरकार की लिखित सहमति है:

बशर्ते कि जहां राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा जैसी अत्यधिक आपातस्थिति हो या अन्यथा ऐसे माल का हवाई मार्ग से परिवहन आवश्यक हो और तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो, महानिदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने से छूट दे सकता है, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे माल के परिवहन में सुरक्षा का सम्पूर्ण स्तर प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है जो तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा स्तर के समतुल्य है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां कहीं भी भारत प्रचालक राज्य या मूल राज्य है, महानिदेशक कुछ खतरनाक माल के हवाई मार्ग से परिवहन के लिए अनुमोदन दे सकते हैं और जिसके लिए तकनीकी अनुदेशों में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे माल का विमान द्वारा या अन्य प्रयोजनों के लिए परिवहन मूल राज्य और प्रचालक राज्य द्वारा समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए।

(4) उप-नियम (1), (2) और (3) के तहत प्रमाणन, अनुमति, छूट या अनुमोदन जैसा भी मामला हो, के लिए महानिदेशक को प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा और उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जैसा कि उनके द्वारा इन नियमों के तहत निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रमाणन, जब तक कि उसे निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे एक बार में पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

(6) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, वे वस्तुएं और पदार्थ, जिन्हें तकनीकी अनुदेशों में नाम या जेनेरिक विवरण द्वारा विशेष रूप से अभिज्ञात किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हवाई मार्ग से परिवहन के लिए निषिद्ध हैं, किसी भी विमान पर नहीं ले जाए जाएंगे।

(7) उप-नियम (1) और (2) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

(क) खतरनाक माल के रूप में वर्गीकृत वस्तुएं और पदार्थ, परंतु जो वायुयान में सवार होने के लिए उपयुक्त उड़नयोग्यता के अपेक्षानुसार और परिचालन विनियमों के अनुसार अपेक्षित है या ऐसे विशेष प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं जिन्हें तकनीकी अनुदेशों में अभिज्ञात किया गया है,

(ख) तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सीमा तक यात्रियों या चालक कर्मी-दल के सदस्यों द्वारा ले जाए जाने वाले विशिष्ट सामान और पदार्थ।

(8) जहां खतरनाक सामान उप-नियम (2) के तहत ले जाए जाते हैं, वहां शिपर, प्रचालक और पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग, स्वीकृति, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, परिवहन या ऐसे खतरनाक सामान के परिवहन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसी अन्य प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वे विमान या उसमें सवार व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतें।

4. अनाधिकृत खतरनाक माल की अभिरक्षा - जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जाने वाला है, तो वह संबंधित खतरनाक माल को माल की प्रकृति की विस्तृत जांच होने तक या मामले में की जाने वाली कार्रवाई, यदि कोई हो, के संबंध में निर्णय होने तक अपनी अभिरक्षा में रखवा सकता है।

5. खतरनाक माल का वर्गीकरण - खतरनाक माल को तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

6. पैकिंग- (1) खतरनाक माल को इस नियम के उपबंधों के अतिरिक्त तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक किया जाएगा।

- (2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खतरनाक पदार्थ की कोई भी हानिकारक मात्रा खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग के बाहर न लगी हुई हो।
- (3) खतरनाक माल के हवाई परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग अच्छी गुणवत्ता की होगी और इस प्रकार सनिर्मित और सुरक्षित रूप से होगी जिससे रिसाव से बचा जा सके जो तापमान, आर्द्रता या दबाव में परिवर्तन या कंपन द्वारा परिवहन की सामान्य दशाओं में हो सकती है।
- (4) पैकेजिंग उसकी अंतर्वस्तु के लिए उपयुक्त होगी और खतरनाक माल से सीधे संपर्क में आने वाली पैकेजिंग ऐसे किसी माल की किसी भी रासायनिक या अन्य क्रिया के लिए प्रतिरोधी होगी।
- (5) पैकेजिंग तकनीकी अनुदेशों में निहित सामग्री और निर्माण विनिर्देशों को पूरा करेगी।
- (6) पैकेजिंग का परीक्षण तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (7) पैकेजिंग जिसके लिए तरल को बनाए रखना एक बुनियादी कार्य है, तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट दबाव को लीक किए बिना दबाव सहन करने में सक्षम होगी।
- (8) खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक पैकेजिंग इस रीति से पैक और सुरक्षित की जाएगी कि कोई टूट-फूट या रिसाव न हो और ये खतरनाक माल की सामान्य वायु परिवहन स्थितियों के दौरान बाहरी पैकेजिंग के भीतर खतरनाक माल के संचलन को नियंत्रित करने और गड़ियों और अवशोषक सामग्री कंटेनर की अंतर्वस्तु सामग्री के साथ खतरनाक तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करेगी।
- (9) खतरनाक माल के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी पैकेजिंग का तब तक दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि -

(क) इसका निरीक्षण कर लिया गया हो और उससे संक्षारण या अन्य नुकसान से मुक्त पाया गया हो; और

(ख) जब तक पश्चात्कर्ती अंतर्वस्तुओं के संदूषण को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हों:

परंतु जहां खतरनाक माल के परिवहन के लिए पहले से उपयोग की गई पैकेजिंग को समुचित रूप से साफ करना संभव न हो, तो ऐसी साफ न की गई खाली पैकेजिंग को वायुयान द्वारा परिवहन के लिए ऐसे खतरनाक माल जिसके लिए ऐसी पैकेजिंग का पहले उपयोग किया गया है, यथा अधिकथित वैसी ही प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए परिवाहित किया जाएगा।

7. लेबल लगाना - जब तक तकनीकी निर्देशों में अन्यथा उपबंधित न हो, खतरनाक माल के प्रत्येक पैकेज पर तकनीकी विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार लेबल लगाए जाएंगे।

8. चिन्हांकन - (1) तकनीकी अनुदेशों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय खतरनाक माल के प्रत्येक पैकेज को उसकी अंतर्वस्तु के उचित प्रेषण के नाम के साथ चिन्हांकित किया जाएगा और जब उसे सौंपा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संख्या और ऐसे अन्य चिन्हांकन लगाए जाएंगे, जो उन अनुदेशों में विनिर्दिष्ट हों।

(2) तकनीकी अनुदेशों में जैसा यथा उपबंधित है, उसके सिवाय तकनीकी अनुदेशों के विनिर्देशों के अनुरूप विनिर्मित प्रत्येक पैकेजिंग पर तकनीकी अनुदेशों के उपबंधों के अनुसार चिन्हांकन किया जाएगा। और इस प्रकार कोई अन्य पैकेजिंग चिन्हांकित नहीं की जाएगी।

(3) मूल राज्य द्वारा अपेक्षित भाषाओं के अतिरिक्त, खतरनाक माल से संबंधित चिह्नों के लिए अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा।

9. माल भेजने वाले के दायित्व - (1) कोई भी माल भेजने वाला या उसका अभिकर्ता खतरनाक माल के किसी पैकेज या ओवरपैक को वायुयान द्वारा परिवहन के लिए तब तक प्रस्थापित नहीं करेगा, जब तक कि उसने यह सुनिश्चित न कर दिया हो कि ऐसा खतरनाक माल वायुयान द्वारा परिवहन के लिए वर्जित नहीं है और उसे उचित रूप से तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार वर्गीकृत, पैक, चिह्नित किया गया है और उस पर लेबल लगाया गया है।

(2) जब तक इन नियमों में यथाउपबन्धित न हो, कोई भी माल भेजने वाला या उसका अभिकर्ता वायुयान द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल को प्रस्थापित नहीं करेगा, जब तक कि उसने तकनीकी अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज़ को पूरा नहीं कर दिया हो, उस पर हस्ताक्षर न कर दिए हों और प्रचालक को उपलब्ध न करा दिया हो।

(3) खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज़ पर एक घोषणा होगी जिस पर माल भेजने वाले द्वारा यह उपदर्शित करते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे कि खतरनाक माल का उसके उचित प्रेषण नामों से पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वर्णित कर दिया गया हो और उसे तकनीकी अनुदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार वायुयान द्वारा परिवहन के लिए वर्गीकृत, पैक, चिह्नित किया गया है, उस पर लेबल लगाया गया है और वह सही हालत में है।

(4) मूल राज्य द्वारा अपेक्षित भाषाओं के अतिरिक्त, खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज़ में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा।

(5) जहां महानिदेशक को यह समाधान हो जाता है कि शिपर या उसके एजेंट को, जो शिपर के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, प्रचालक को यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे शिपर या उसके एजेंट से कार्गो स्वीकार न करे।

10. प्रचालक के दायित्व .— (1) कोई भी प्रचालक वायुयान द्वारा परिवहन के लिए खतरनाक माल को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि, -

(क) खतरनाक माल के साथ सिवाय वहां के जहां तकनीकी अनुदेश यह विनिर्दिष्ट करता हो कि ऐसा दस्तावेज़ अपेक्षित नहीं हैं, पूरा किया गया खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज़ संलग्न है; तथा

(ख) ऐसे पैकेज, ओवरपैक या माल आधान जिसमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं, का तकनीकी निरीक्षण अनुदेशों में निर्दिष्ट स्वीकृति की प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण कर लिया गया है।

(2) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी अनुदेशों द्वारा यथा अपेक्षित के अनुसार स्वीकृति जांच सूची विकसित कर ली गई है और उसके स्वीकृति कर्मचारीवृन्द द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

(3) ऐसे पैकेज, ओवर पैकों का जिसमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं और ऐसे माल आधानों का जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट हैं, किसी वायुयान पर या यूनिट लोड डिवाइस में लादने से पूर्व रिसाव या हानि के साक्ष्य के लिए निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे पैकेजों, ओवर पैकों या माल आधानों को वायुयान पर तकनीकी अनुदेशों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार लादा जाएगा और उसमें चढ़ाया जाएगा।

(4) प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी रिसाव युक्त या क्षतिग्रस्त पैकेज, ओवरपैक या माल आधान जिनमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं, किसी वायुयान पर लादा नहीं जाएगा।

(5) किसी यूनिट लोड डिवाइस को किसी वायुयान के फलक पर तब तक लादा नहीं जाएगा जब तक कि उस डिवाइस का निरीक्षण न कर लिया गया हो और अंतर्विष्ट किसी खतरनाक माल के रिसाव या नुकसानी के किसी साक्ष्य से मुक्त न पाया गया हो।

(6) जहां किसी वायुयान पर लादे गए खतरनाक माल का कोई पैकेज नुकसानग्रस्त या रिसता प्रतीत होता है वहां प्रचालक ऐसे पैकेज को वायुयान से हटा देगा या यथास्थिति किसी समुचित प्राधिकारी या संगठन द्वारा उसके हटाने के लिए व्यवस्था करेगा और उसके पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि शेष पारेषण वायुयान द्वारा परिवहन के लिए उचित स्थिति में है और कोई अन्य पैकेज संदूषित नहीं हुआ है।

(7) ऐसे पैकेजों या ओवरपैकों का जिसमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं और ऐसे माल आधानों का जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट है, वायुयान से या यूनिट लोड डिवाइस से उतारते समय नुकसान या रिसाव के किसी संकेत के लिए निरीक्षण किया जाएगा और यदि नुकसान या रिसाव का कोई साक्ष्य पाया जाता है तो उस स्थान का जहां खतरनाक माल या यूनिट लोड डिवाइस लदे हुए थे, नुकसान या संदूषण के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

(8) नियम 3 के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय, कोई भी खतरनाक माल किसी वायुयान में यात्रियों के अधिभोग में केबिन में या किसी वायुयान की फ्लाईट डैक पर नहीं ले जाया जाएगा।

(9) खतरनाक माल के रिसाव या नुकसान के परिणामस्वरूप किसी वायुयान पर लाए गए किसी संकटमय संदूषण को बिना विलंब के तत्काल हटाया जाएगा।

(10) ऐसे वायुयान को जो रेडियोधर्मी सामग्री से संदूषित हो गया है, तत्काल सेवा से बाहर कर दिया जाएगा और उसे सेवा में तब तक सेवा वापस नहीं लाया जाएगा जब तक कि किसी पहुँच योग्य स्थान पर विकिरण स्तर और अनियत संदूषण तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट मानों से अधिक नहीं है।

(11) ऐसे पैकेजों को जिनमें खतरनाक माल अंतर्विष्ट हैं और जो एक दूसरे के साथ खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, किसी वायुयान पर एक दूसरे के पश्चात नहीं चढ़ाया जाएगा या ऐसी स्थिति में नहीं चढ़ाया जाएगा, जिसमें रिसाव की स्थिति में उनके बीच पारस्परिक कोई क्रिया हो सके।

(12) विषाक्त और संक्रामक पदार्थों के पैकेजों को किसी वायुयान पर तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार ही चढ़ाया जाएगा।

(13) रेडियोधर्मी सामग्री के पैकेजों को किसी वायुयान पर इस प्रकार चढ़ाया जाएगा जिससे कि उन्हें व्यक्तियों, जीवित पशुओं और अविकसित फिल्म से तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पृथक किया जा सके।

(14) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब खतरनाक माल को किसी वायुयान में लादा जाता है तब प्रचालक उक्त खतरनाक माल का क्षतिग्रस्त होने से संरक्षण करेगा और उक्त वायुयान में ऐसे माल को किसी ऐसी रीति से सुरक्षित करेगा जिससे उड़ान के दौरान किसी संचालन को रोका जा सके जो पैकेज पूर्वाभिमुखीकरण को परिवर्तित करता हो। ऐसे पैकेजों के लिए जिनमें रेडियोधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट है ऐसी सुरक्षा होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगी कि उप-नियम (13) के पृथक्करण की अपेक्षाओं को हर समय पूरा किया जाता है।

(15) तकनीकी अनुदेशों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, खतरनाक माल के जिन पैकेजों पर "कार्गो ऐयरक्राफ्ट ओनली" लिखा हुआ लेबल लगा हुआ हो उन पैकेजों को ऐसी रीति में लादा जाएगा जिससे कि कर्मिंदल सदस्य या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति उसे देख सके, उसका रख रखाव कर सकें और जहां आकार और वजन अनुज्ञा देता हो ऐसे पैकेजों को उड़ान के दौरान अन्य कार्गो से पृथक कर सकें।

11. गलत घोषित या अधोषित खतरनाक माल .— (1) प्रचालक या कोई अन्य व्यक्ति जो सामान, कार्गो या मेल की स्वीकृति या हैंडलिंग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी ओर से कार्य करता है, यदि उसे किसी गलत घोषित या अधोषित माल पाया जाता है या प्राप्त होता है, तो वह महानिदेशक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट में ऐसी अन्य सुसंगत सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:-

- (i) रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति या प्रचालक का नाम और पता ;
- (ii) शिपर और उसके एजेंट का नाम और पता, यदि कोई हो ;
- (iii) गलत घोषित या अधोषित खतरनाक माल का पता लगने की तारीख और स्थान ;
- (iv) ऐसे खतरनाक माल का उचित शिपिंग नाम और मात्रा सहित खतरनाक माल का वर्ग या विभाजन,

(3) रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक, यदि आवश्यक समझे तो गलत घोषित या अधोषित खतरनाक माल के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश देगा तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए निवारक उपाय करेगा।

12. सूचना का उपबंध — (1) उस वायुयान का प्रचालक जिसमें खतरनाक माल को ले जाना है, पायलेट-इन-कमांड को वायुयान के प्रस्थान से पूर्व यथासाध्य शीघ्र तकनीकी अनुदेशों की अपेक्षा के अनुसार लिखित में सूचना देगा।

(2) प्रचालक आपरेशन मैनुअल में ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे उड़ान कर्मिंदल सदस्य खतरनाक माल के परिवहन के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके और उन कार्यों के बारे में अनुदेश भी उपलब्ध कराएगा जो खतरनाक माल को अंतर्ग्रस्त करते हुए उत्पन्न आपातकाल की दशा में करने होंगे।

(3) प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचना ऐसी रीति में प्रख्यापित की गई है कि यात्रियों को माल की उन किस्मों के बारे में चेतावनी दी गई है जो तकनीकी अनुदेशों में यथाउपबंधित के अनुरूप किसी वायुयान पर परिवहन करने से वर्जित हैं।

(4) वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन में लगे हुए प्रचालक, माल भेजने वाले या अन्य संगठन अपने कर्मिकों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएंगे जिससे वे खतरनाक माल के परिवहन के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा कर सकें और खतरनाक माल के संबंध में उत्पन्न आपातकाल की दशा में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अनुदेश प्रदान करेंगे।

(5) यदि उड़ान के दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो पायलट-इन-कमांड, जैसे ही स्थिति अनुकूल बनती है, वायुयान के फलक पर किसी खतरनाक माल की, विमानन क्षेत्र प्राधिकारियों की सूचना के लिए, समुचित वायु यातायात सेवा एकक को तकनीकी अनुदेशों में यथा उपबन्धित, सूचना देगा।

(6) किसी वायुयान दुर्घटना की दशा में या किसी गंभीर घटना की स्थिति में, खतरनाक माल को स्थौरो के रूप में ले जाने वाले, वायुयान का प्रचालक बिना किसी विलंब के, दुर्घटना या गंभीर घटना का जवाब देने वाली आपातकालीन सेवाओं को, और, यथा शीघ्र प्रचालक के राज्य और उस राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को, जिसमें दुर्घटना या गंभीर घटना घटी है, के बारे में पायलट-इन-कमांड को, दर्शाई गई लिखित सूचना के अनुसार वायुयान में मौजूद खतरनाक सामान के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

(7) किसी वायुयान दुर्घटना की दशा में, स्थौरो के रूप में खतरनाक माल को ले जाने वाले, वायुयान का प्रचालक, अनुरोध पर, बिना विलंब फलक पर खतरनाक माल के बारे में पायलट-इन-कमांड को, दर्शाई गई लिखित सूचना के अनुसार दुर्घटना या गंभीर घटना का जवाब देने वाली आपातकालीन सेवाओं को, और, राज्य और उस राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को, जिसमें दुर्घटना या गंभीर घटना घटी है, को सूचना उपलब्ध कराएगा।

13. निरीक्षण.- (1) महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी उचित समय पर किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां पहुंच आवश्यक है और इन नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी भी सेवा, उपकरण, दस्तावेज और अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) प्रचालक, शिपर, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और खतरनाक माल के परिवहन से संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को वायुयान के किसी भी भाग, भवन या किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे उपकरण, अभिलेख, दस्तावेज और कार्मिक सहित तक पहुंच की अनुमति देगा, और इन नियमों के तहत उसकी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहयोग करेगा।

(3) महानिदेशक, या उप-नियम (1) के तहत अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इन नियमों के तहत कोई कार्य करने वाली इकाई द्वारा कथित उल्लंघनों की जांच कर सकेगा और ऐसी जांच के लिए, अधिकृत व्यक्ति उप-नियम (1) के तहत के शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

14. खतरनाक माल दुर्घटनाएं और घटनाएं — (1) खतरनाक माल दुर्घटना या खतरनाक माल घटना की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, वायुयान का पायलट-इन-कमांड और वायुयान या हवाई अड्डे का प्रचालक, जैसा भी मामला हो, ऐसी दुर्घटना या घटना पर महानिदेशक को लिखित रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट में किसी अन्य सुसंगत सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी शामिल होगी, अर्थात्:-

- (क) वायुयान का प्रकार, राष्ट्रीयता और पंजीकरण चिह्न;
- (ख) वायुयान के स्वामी, प्रचालक और अवक्रेता का नाम ;
- (ग) वायुयान के पायलट-इन-कमांड का नाम ;
- (घ) उड़ान की प्रकृति और उद्देश्य ;
- (ङ) खतरनाक माल दुर्घटना या घटना की तारीख और समय ;
- (च) वह स्थान जहां दुर्घटना घटी;
- (छ) वायुयान के प्रस्थान का अंतिम बिंदु तथा उसके उतरने का अगला बिंदु ;
- (ज) वायुयान में मौजूद खतरनाक माल का ब्यौरा, जैसे उनका उचित शिपिंग नाम, यूएन नंबर, मात्रा आदि ।
- (झ) खतरनाक माल दुर्घटना या घटना का ज्ञात कारण ;
- (ञ) वायुयान फलक में अन्य कार्गो का ब्यौरा ;
- (ट) वायुयान, अन्य संपत्ति और वायुयान में सवार व्यक्तियों को हुई क्षति की सीमा ;
- (ठ) महानिदेशक द्वारा शामिल की जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

(3) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक, यदि आवश्यक समझे, ऐसी दुर्घटना या घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दे सकेगा और ऐसी दुर्घटना या घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय कर सकेगा।

15. प्रशिक्षण की आवश्यकता. — (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से खतरनाक माल के परिवहन में किसी भी रीति में स्वयं को तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि उसने अपनी दायित्वों के अनुरूप उचित प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्राप्त नहीं कर लिया हो।

(2) ऐसा प्रशिक्षण और मूल्यांकन किसी व्यक्ति के उस स्थिति में नियोजन के समय प्रदान किया जाएगा या सत्यापित किया जाएगा जिसमें वायुयान द्वारा खतरनाक माल के परिवहन अंतर्विलित हो और पुनरावृत्ति प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका ज्ञान सामयिक है, पूर्व प्रशिक्षण और मूल्यांकन के चौबीस मास के भीतर दिया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की वैधता अवधि प्रशिक्षण की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से चौबीस माह की होगी।

(4) पुनरावर्ती प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के मामले में, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की वैधता की अवधि पिछले प्रशिक्षण और मूल्यांकन की वैधता समाप्ति माह से शुरू होगा, इस शर्त के अधीन है कि आवर्ती प्रशिक्षण पिछले प्रशिक्षण और मूल्यांकन की वैधता से पहले तीन महीने से अधिक की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

(5) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में, आवर्ती प्रशिक्षण की वैधता की अवधि आवर्ती प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से प्रारंभ होगी।

16. प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना और अनुमोदन — (1) प्रारंभिक और आवर्ती खतरनाक माल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा या उनकी ओर से स्थापित और अनुरक्षित किए जाएंगे, —

- (क) खतरनाक माल भेजने वाले, जिनमें पैकर्स और भेजने वाले के दायित्व लेने वाले व्यक्ति या संगठन शामिल हैं;
- (ख) प्रचालक;
- (ग) ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां जो ऑपरेटर की ओर से कार्गो को स्वीकार करने, संभालने, लोड करने, उतारने, स्थानांतरित करने या अन्य प्रसंस्करण का कार्य करती हैं;
- (घ) हवाई अड्डे पर स्थित ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां जो प्रचालक की ओर से यात्रियों के प्रसंस्करण का कार्य करती हैं;
- (ङ) हवाई अड्डे पर स्थित न होने वाली एजेंसियां, जो प्रचालक की ओर से यात्रियों की जांच का कार्य करती हैं;
- (च) माल भाड़ा अग्रेषणकर्ता;
- (छ) यात्रियों और उनके सामान तथा कार्गो की सुरक्षा जांच में लगी एजेंसियां; और
- (ज) नामित डाक प्रचालक।

(2) प्रशिक्षण, प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मिकों की उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपेक्षाओं में प्रदान किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

- (क) साधारण उपबंधों से सुपरिचित कराने के उद्देश्य से साधारण सुपरिचय प्रशिक्षण;
- (ख) विनिर्दिष्ट कृत्य संबंधी प्रशिक्षण जिसमें उस कृत्य को जिस के लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी है, लागू अपेक्षाओं में विस्तृत प्रशिक्षण देना भी है;
- (ग) सुरक्षा प्रशिक्षण जो खतरनाक माल द्वारा प्रस्तुत परिसंकट, सुरक्षित हथालन और आपातकाल में कार्रवाई करने की प्रक्रिया के लिए है।

इस उप-नियम में निहित होने के बावजूद, नामित डाक प्रचालक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उनके उत्तरदायित्वों के अनुरूप होगा और पाठ्यक्रम की सामग्री विनिर्दिष्ट तकनीकी निर्देशों के अनुसार होगी।

(3) किसी भारतीय प्रचालक, नामित डाक प्रचालक या भारत के किसी अन्य एजेंसी द्वारा या उसकी ओर से स्थापित और अनुरक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशक द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के अधीन होगा।

(4) किसी विदेशी प्रचालक द्वारा या उसकी ओर से अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए स्थापित और संधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को महानिदेशक द्वारा इस साक्ष्य के प्रस्तुत करने पर वैध माना जा सकता है कि इसे ऑपरेटर के राज्य के नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(5) उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए महानिदेशक को आवेदन इन नियमों के अधीन निर्धारित शुल्क सहित ऐसे प्रारूप में दिया जाएगा तथा उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर, किसी संगठन को प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने या चलाने के लिए अनुमोदन दे सकेगा।

(7) जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, उप-नियम (6) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं रहेगा, जिसे एक बार में अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(8) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से संगठन के प्रशिक्षण अभिलेखों का रख रखाव किए जाएंगे तथा मांगे जाने पर महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

17. अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन — (1) इस नियम में 'प्रशिक्षण संगठन' से तात्पर्य ऐसे संगठन या व्यक्ति से है जो वायुमार्ग द्वारा खतरनाक माल के सुरक्षित परिवहन में प्रवृत्त, यथास्थिति, संस्थाओं या एजेंसियों के कर्मचारियों या उनके द्वारा नियोजित कार्मिकों के लिए खतरनाक माल विनियमों पर प्रशिक्षण आयोजित करने में शामिल है, ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप सक्षमता प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

(2) प्रशिक्षण संगठन में अपेक्षित अवसंरचना, पर्याप्त सुविधाएं, पदधारक, प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता सहित योग्य और प्रशिक्षित कार्मिक होने चाहिए, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) प्रशिक्षक, मूल्यांकनकर्ता और पदधारक के पास महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव होना चाहिए।

(4) प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन प्रदान करने के लिए महानिदेशक को आवेदन इन नियमों के अधीन निर्धारित शुल्क सहित ऐसे प्रारूप में दिया जाएगा तथा उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(5) महानिदेशक, इस बात से समाधान होने पर कि प्रशिक्षण संगठन की स्थापना से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लेने पर, प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन, अनुमोदन में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान कर सकेगा।

(6) प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन, पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगा, जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया जाए और समाधान होने पर महानिदेशक अनुमोदन को एक बार में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं;

(7) प्रशिक्षण संगठन अपने अनुमोदन के दायरे से बाहर प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि महानिदेशक द्वारा उसके अनुमोदन के दायरे को विस्तारित नहीं कर दिया जाता।

(8) अनुमोदन के दायरे के विस्तार के लिए आवेदन इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित शुल्क सहित महानिदेशक को ऐसे प्रारूप में दिया जाएगा तथा उसमें ऐसे विवरण या दस्तावेज होंगे, जैसा कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और महानिदेशक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन होने पर अनुरोध किए गए के अनुसार या किसी विशिष्ट स्तर तक, जैसा उचित समझा जाए, कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अनुमोदन दे सकते हैं। इस उप-नियम के तहत दिए गए कार्यक्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति, यदि कोई हो, केवल मूल स्वीकृति की वैधता की तिथि तक ही वैध होगी।

(9) संगठन के प्रशिक्षण अभिलेख का रिकॉर्ड महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अनुरक्षित किया जाएगा तथा मांगे जाने पर महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(10) अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन, जब भी आवश्यक हो, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रियाओं के अनुसार समय-समय पर अपने मैनुअल को संशोधित करेगा।

18. शुल्क. — (1) निम्नलिखित शुल्क देय होंगे:

(क) नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रमाणन और उसका नवीकरण,-

(i) अनुसूचित प्रचालक के लिए: प्रमाणन के लिए दो लाख रुपये और प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए एक लाख रुपये

(ii) अनुसूचित प्रचालक के अलावा: प्रमाणन के लिए एक लाख रुपये और प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए पचास हजार रुपये

(ख) नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रावधान के अंतर्गत चरम आपात स्थिति में छूट: प्रति छूट पच्चीस हजार रुपए

(ग) नियम 3 के उप-नियम (3) के अंतर्गत खतरनाक माल के परिवहन के लिए अनुमोदन प्रदान करना: पांच हजार रुपए

(घ) (i) नियम 16 के उप-नियम (6) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान करना

(क) पचास कर्मचारी: दस हजार रुपये

(ख) पचास से अधिक और दो सौ तक कर्मचारी: पच्चीस हजार रुपये

(ग) 200 से अधिक कर्मचारी: पचास हजार रुपये

(ii) नियम 16 के उप-नियम (6) के अंतर्गत अनुमोदन के नवीकरण के लिए शुल्क, खंड (i) के तहत देय फीस का पचास प्रतिशत होगी।

(ङ) नियम 17 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन प्रदान करना एवं उसका नवीनीकरण करना:

(i) अनुमोदन हेतु: प्रति स्टेशन एक लाख

(ii) अनुमोदन के नवीकरण के लिए: प्रति स्टेशन पचास हजार रुपये

(च) नियम 17 के उप-नियम (8) के अंतर्गत कार्यक्षेत्र का विस्तार: प्रति स्टेशन पचास रुपए

(2) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

19. महानिदेशक द्वारा निदेश. — (1) महानिदेशक, वैमानिक सूचना परिपत्रों (एआईसी) और नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) नाम के प्रकाशन के माध्यम से, पैकिंग, चिन्हांकन, लेबलिंग, स्वीकृति, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, प्रशिक्षण और वायुयान द्वारा खतरनाक माल के वहन से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संबंधित अन्य कोई क्रिया या प्रक्रिया के बारे में विशेष अनुदेश जारी कर सकेगा, जो भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) या इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षाओं को नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिनों की अवधि के लिए मसौदा के रूप में अपलोड करने के बाद जारी किया जाएगा ताकि इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

बशर्ते कि महानिदेशक, लोकहित में तथा लिखित आदेश द्वारा, ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दें।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का अनुपालन उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है।

(4) महानिदेशक लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी वायुयान या किसी वर्ग के वायुयान या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियम के तहत नागर विमानन अपेक्षाओं नामक प्रकाशन में दिए गए निदेशों के प्रवर्तन से पूर्णतः या आंशिक रूप से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेंगे।

20. लाइसेंस, प्रमाणपत्र और अनुमोदन को रद्द या निलंबित करना. — जहां महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों या नियम 19 के तहत जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है या उसका अनुपालन करने में असफल रहा है, वहां वह, कारणों को लिखित रूप में करके, इन नियमों के तहत या वायुयान नियमावली, 1937 के अंतर्गत जारी किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र या अनुमोदन पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है या उसे निलंबित या रद्द कर सकता है।

21. अपील. — (1) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(2) कोई अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी या द्वितीय अपीलीय अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, अनुसूची के सहायक दस्तावेजों सहित फॉर्म 'क' में तथा एक हजार रुपए के शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

(3) ऐसा अपीलीय अधिकारी आवेदक से कोई भी सूचना, रिकार्ड या अन्य दस्तावेज मांग सकता है, यदि उसे अपील के लिए प्रासंगिक समझा जाए।

(4) अपील अधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, अपीलीय आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे निरस्त करते हुए, सकारण आदेश पारित कर सकता है।

(5) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

22. अपराध. — कोई भी व्यक्ति जिसने इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है, वह भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अनुसार दंडनीय होगा;

23. वित्तीय जुर्माना लगाना. — (1) कोई भी व्यक्ति जिसने इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है, उसपर भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 32 के उपबंधों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) जुर्माने का निर्धारण, यथास्थिति, निर्दिष्ट अधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा उक्त अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

24. छूट देने की साधारण शक्ति — केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा के उपबंधों के अनुसार किसी वायुयान या 20 वायुयान के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के प्रचालन से, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकेगी।

25. शक्ति का प्रत्यायोजन — (1) इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग हो सकेंगी।

(2) इन नियमों के तहत महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

26. निरसन और व्यावृत्ति — वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियमावली, 2003 निरस्त हो जाएगी, सिवाय उन बातों के जो ऐसे निरसन से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, जिनमें कोई अधिसूचना, निरीक्षण या दिया गया या जारी किया

गया आदेश; या दिया गया कोई लाइसेंस, प्रमाणपत्र, अनुमोदन, अनुमति या छूट; या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लेख-पत्र; या जारी किया गया कोई निदेश; या इन नियमों के तहत की गई कोई कार्यवाही या लगाई गई कोई शास्ति, दंड, जब्ती या जुर्माना शामिल है, जहां तक वह भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) के उपबंधों से असंगत नहीं है।

**अनुसूची
(नियम 23 देखें)**

जुर्माना

1. उल्लंघन की गंभीरता के स्तर का वर्गीकरण और उसके लिए जुर्माना: —

तालिका 1

क्रम सं.	गंभीरता स्तर (रुपये में)	व्यक्तिगत	संगठन(लघु)	संगठन (मध्यम)	संगठन (वृहत)
			पचास कर्मचारियों तक	पचास से अधिक और सौ तक कर्मचारी	सौ से अधिक कर्मचारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लेवल 1	दस हजार	पचास हजार	पचत्तर हजार	एक लाख
2.	लेवल 2	बीस हजार	एक लाख	एक लाख पचास हजार	दो लाख पचास हजार
3.	लेवल 3	पचास हजार	दो लाख	तीन लाख	पांच लाख
4.	लेवल 4	पचत्तर हजार	तीन लाख	पांच लाख	दस लाख
5.	लेवल 5	एक लाख पचास हजार	पांच लाख	दस लाख	बीस लाख
6.	लेवल 6	तीन लाख	सात लाख पचास हजार	पंद्रह लाख	तीस लाख
7.	लेवल 7	पांच लाख	दस लाख	पच्चीस लाख	पचास लाख
8.	लेवल 8	दस लाख	बीस लाख	पैंतीस लाख	सत्तर लाख
9.	लेवल 9	बीस लाख	पैंतीस लाख	पचास लाख	पचासी लाख
10.	लेवल 10	पच्चीस लाख	पचास लाख	पचत्तर लाख	एक करोड़

नोट: — (1) "व्यक्तिगत" से आशय आम आदमी से है।

(2) "संगठन" से तात्पर्य किसी निगमित निकाय या व्यक्तियों के संघ से है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं।

(3) "कर्मचारी" से तात्पर्य संगठन द्वारा नियुक्त, नियोजित या तैनात व्यक्ति से है, चाहे वह संविदात्मक, अस्थायी या स्थायी हो।

2. नियमों का उल्लंघन तथा उसकी गंभीरता का स्तर, जैसा भी मामला हो, नामित अधिकारियों या अपीलीय अधिकारी द्वारा जुर्माना राशि के निर्धारण के लिए।

तालिका 2

क्र.सं.	उल्लंघन की प्रकृति	संबंधित नियम	उल्लंघन/अतिक्रमण /गैर-अनुपालन का गंभीरता स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियम 3 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 3 का उप-नियम (1)	लेवल 10
2.	नियम 3 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 3 का उप-नियम (2)	लेवल 8 तक
3.	नियम 3 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 3 का उप-नियम (6)	लेवल 9
4.	नियम 3 के उप-नियम (8) का अनुपालन न करना	नियम 3 का उप-नियम (8)	लेवल 5
5.	नियम 5 का अनुपालन न करना	नियम 5	लेवल 6
6.	नियम 6 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (1)	लेवल 6
7.	नियम 6 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (2)	लेवल 5
8.	नियम 6 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (3)	लेवल 6
9.	नियम 6 के उप-नियम (4) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (4)	लेवल 4
10.	नियम 6 के उप-नियम (5) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (5)	लेवल 6
11.	नियम 6 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (6)	लेवल 6
12.	नियम 6 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (7)	लेवल 7
13.	नियम 6 के उप-नियम (8) का अनुपालन न करना	नियम 6 का उप-नियम (8)	लेवल 6
14.	नियम 6 के उप-नियम (9) का उल्लंघन	नियम 6 का उप-नियम (9)	लेवल 8
15.	नियम 7 का अनुपालन न करना	नियम 7	लेवल 4
16.	नियम 8 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 8 का उप-नियम (1)	लेवल 5
17.	नियम 8 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 8 का उप-नियम (2)	लेवल 5

18.	नियम 9 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 9 का उप-नियम (1)	लेवल 8
19.	नियम 9 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 9 का उप-नियम (2)	लेवल 5
20.	नियम 9 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 9 का उप-नियम (3)	लेवल 6
21.	नियम 10 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 10 का उप-नियम (1)	लेवल 8 तक
22.	नियम 10 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (2)	लेवल 2
23.	नियम 10 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (3)	लेवल 5
24.	नियम 10 के उप-नियम (4) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (4)	लेवल 6
25.	नियम 10 के उप-नियम (5) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (5)	लेवल 5
26.	नियम 10 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (6)	लेवल 7
27.	नियम 10 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (7)	लेवल 5
28.	नियम 10 के उप-नियम (8) का उल्लंघन	नियम 10 का उप-नियम (8)	लेवल 6 तक
29.	नियम 10 के उप-नियम (9) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (9)	लेवल 6
30.	नियम 10 के उप-नियम (10) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (10)	लेवल 8
31.	नियम 10 के उप-नियम (11) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (11)	लेवल 6
32.	नियम 10 के उप-नियम (12) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (12)	लेवल 7
33.	नियम 10 के उप-नियम (13) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (13)	लेवल 8
34.	नियम 10 के उप-नियम (14) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (14)	लेवल 6 तक
35.	नियम 10 के उप-नियम (15) का अनुपालन न करना	नियम 10 का उप-नियम (15)	लेवल 6
36.	नियम 11 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 11 का उप-नियम (1)	लेवल 4
37.	नियम 12 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (1)	लेवल 7

38.	नियम 12 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (2)	लेवल 6
39.	नियम 12 के उप-नियम (3) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (3)	लेवल 6
40.	नियम 12 के उप-नियम (4) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (4)	लेवल 6
41.	नियम 12 के उप-नियम (5) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (5)	लेवल 4
42.	नियम 12 के उप-नियम (6) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (6)	लेवल 5
43.	नियम 12 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 12 का उप-नियम (7)	लेवल 5
44.	नियम 13 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 13 का उप-नियम (2)	लेवल 6 तक
45.	नियम 14 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 14 का उप-नियम (1)	लेवल 4
46.	नियम 14 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 14 का उप-नियम (2)	लेवल 2
47.	नियम 15 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 15 का उप-नियम (1)	लेवल 1
48.	नियम 15 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 15 का उप-नियम (2)	लेवल 2
49.	नियम 16 के उप-नियम (1) का अनुपालन न करना	नियम 16 का उप-नियम (1)	लेवल 1
50.	नियम 16 के उप-नियम (8) का अनुपालन न करना	नियम 16 का उप-नियम (8)	लेवल 2
51.	नियम 17 के उप-नियम (2) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (2)	लेवल 4
52.	नियम 17 के उप-नियम (7) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (7)	लेवल 3
53.	नियम 17 के उप-नियम (9) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (9)	लेवल 3
54.	नियम 17 के उप-नियम (10) का अनुपालन न करना	नियम 17 का उप-नियम (10)	लेवल 2
55.	नियम 19 के अंतर्गत जारी निदेशों का अनुपालन न करना	नियम 18 का उप-नियम (3)	स्तर 6 तक। यदि किसी नियम में उसी उल्लंघन के लिए पहले से ही शास्ति का प्रावधान किया गया है, तो उस नियम के लिए निर्दिष्ट शास्ति लागू होगी।

3. निर्दिष्ट/अपीलीय अधिकारियों द्वारा दंड के निर्णय की प्रक्रिया —

(क) निर्दिष्ट अधिकारी, जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी व्यक्ति ने उपरोक्त पैराग्राफ 2 के अंतर्गत तालिका 2 में निर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति पर क्रमशः पैराग्राफ 1 और 2 के अंतर्गत तालिका 1 और 2 के अनुसार जुर्माना लगा सकता है, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, उल्लंघन किए गए नियमों के प्रावधान तथा जुर्माना लगाने के कारणों के साथ-साथ डिमांड नोटिस भी शामिल होगा।

(ख) निर्दिष्ट अधिकारी किसी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाएगा, जहां यह उसके संज्ञान में आता है कि अधिनियम और इन नियमों के तहत उसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उसी नियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा डिमांड नोटिस के साथ पारित दंड आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को मान्यताप्राप्त सेवा पद्धति द्वारा दी जाएगी।

(घ) खंड (क) के अधीन जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति इन नियमों के नियम 20 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(ङ) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश की प्रति अपीलकर्ता एवं संबंधित निर्दिष्ट अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) निर्दिष्ट अधिकारी, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित ऐसे अंतिम आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, आदेश में लगाए गए जुर्माने की राशि के लिए संशोधित डिमांड नोटिस जारी करके आदेश को प्रभावी करेगा।

(छ) इस प्रकार से लगाए गए जुर्माने का उस व्यक्ति द्वारा महानिदेशक द्वारा निर्धारित तरीके से डिमांड नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा।

(ज) यदि वह व्यक्ति, जिस पर जुर्माना लगाया गया है, डिमांड नोटिस में निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो इन नियमों के तहत, जैसा भी मामला हो, किसी भी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, अनुज्ञा, परमिट या अनुमोदन को रद्द करने या निलंबित करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

फॉर्म क (नियम 21 और 23 देखें) अपील अधिकारी के समक्ष अपील का फॉर्म (प्रथम/द्वितीय)		
1.	अपीलकर्ता का नाम	
2.	पता	
3.	ईमेल पता	
4.	दूरभाष सं.	
5.	आदेश संख्या दिनांक सहित जिसके लिए अपील प्रस्तुत की गई है (आदेश की प्रति संलग्न करें)	
6.	उस अधिकारी का नाम और पदनाम जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है	
7.	नियमों का उल्लंघन जिसके लिए आदेश पारित किया गया	
8.	आदेश का प्रभावी भाग	
9.	वह तारीख जिस दिन अपीलकर्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई	
10.	30 दिन की सीमा अवधि पूरी होने की तिथि	
11.	मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य	

12.	अपील का आधार	
13.	अपीलकर्ता की अपील	
14.	शुल्क और लेनदेन विवरण	
15.	सहायक दस्तावेजों के साथ अन्य विवरण, यदि कोई हो	

सत्यापन

मैं _____, अपीलकर्ता, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

[फा.सं.एवी/11012/4/2025-डीजी]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2025

G.S.R. 397(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 10, 11, 19, 20, 32 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), is hereby published as required by section 34 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title, Commencement and extent.- (1) These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2025 and shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) They extend to whole of India and apply also –

- (a) to aircraft registered in India or aircraft operated by an operator who has his principal place of business or permanent place of residence in India, wherever they may be;
- (b) to all aircraft for the time being in or over India;
- (c) to persons operating air transport services to, from, within and over India, shippers of dangerous goods or their agents; and
- (d) designated postal operator.

2. Definitions and interpretation. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);
- (b) “agent” means any person that undertakes the responsibilities or carries out any of the function of an operator or a shipper, as the case may be, on behalf of the operator or shipper in relation to carriage of dangerous goods by air;

- (c) "baggage" means personal property of passengers or crew carried on an aircraft by agreement with the operator;
- (d) "cargo aircraft" means any aircraft, other than a passenger aircraft, which is carrying goods or property;
- (e) "crew member" means a person assigned by an operator to duty on an aircraft during a flight duty period;
- (f) "dangerous goods" means articles or substances which are capable of posing a hazard to health, safety, property or the environment and which are listed as such in the Technical Instructions or which are classified according to the Technical Instructions;
- (g) "dangerous goods accident" means an occurrence associated with and related to the transport of dangerous goods by air which results in fatal or serious injury to a person or damage to major property or environment;
- (h) "dangerous goods incident" means,—
- (i) an occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with and related to the transport of dangerous goods by air, not necessarily occurring on board an aircraft, which results in injury to a person, property or environment, or fire, breakage, spillage, leakage of fluid or radiation or any incident occurred due to defect in packaging; and
 - (ii) an incident occurred due to the transport of dangerous goods which seriously jeopardises the aircraft or its occupants
- (i) "designated postal operator" means any governmental or non-governmental entity officially designated by a Universal Postal Union (UPU) member country to operate postal services and to fulfil the related obligations arising from the acts of the UPU Convention on its territory;
- (j) "Director General" means Director General of Civil Aviation;
- (k) "exemption" means an authorisation issued, other than an approval granted by an appropriate national authority providing relief from the provisions contained in the Annexes and the Technical Instructions;
- (l) "flight crew member" means a licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period;
- (m) "mail" means dispatches of correspondence and other items tendered by, and intended for delivery to, postal services in accordance with the rules of the Universal Postal Union (UPU);
- (n) "operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft operation;

- (o) "overpack" means an enclosure used by a single shipper to contain one or more packages and to form one handling unit for convenience of handling and stowage;
- (p) "package" means the complete product of the packing operation consisting of the packaging and its contents prepared for transport;
- (q) "packaging" means receptacles and any other components or materials necessary for the receptacle to perform its containment function;
- (r) "passenger aircraft" means an aircraft that carries any person other than a crew member, an operator's employee in an official capacity, an authorized representative of an appropriate national authority or a person accompanying a consignment or other cargo;
- (s) "pilot-in-command" means the pilot designated by the operator, or in the case of general aviation by the owner, as being in command and charged with the safe conduct of a flight;
- (t) "serious injury" means an injury which is sustained by a person in an accident and which:
- (a) requires hospitalization for more than 48 hours, commencing within seven days from the date the injury was received; or
 - (b) results in a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, toes or nose); or
 - (c) involves lacerations which cause severe haemorrhage, nerve, muscle or tendon damage; or
 - (d) involves injury to any internal organ; or
 - (e) involves second or third degree burns, or any burns affecting more than five per cent of the body surface; or
 - (f) involves verified exposure to infectious substances or injurious radiation;
- (u) "shipper" means a person who performs any of the functions provided for shipper's responsibilities in the Technical Instructions;
- (v) "State of origin" means the state in the territory of which the consignment of dangerous goods is first to be loaded on an aircraft;
- (w) "State of destination" means the State in the territory of which the consignment is finally to be unloaded from an aircraft;

(x) "State of the operator" means the State in which the operator's principal place of business is located or, if there is no such place of business, the operator's permanent place of residence;

(y) "Technical Instructions" means the instructions for the safe transport of dangerous goods by air, approved and issued periodically in accordance with the procedure established by the International Civil Aviation Organisation Council;

(z) "UN number" means the four digit number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals to identify an article or substance or a particular group of articles or substances;

(aa) "Unit load device" means any type of freight container, aircraft container, aircraft pallet with a net or aircraft pallet with a net over an igloo.

Note 1. — An overpack is not included in this definition.

Note 2. — A freight container for radioactive material is not included in this definition;

(2) The words and expressions used herein but not defined, and defined in the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

3. Carriage of dangerous goods by air. — (1) No operator shall engage in the carriage of dangerous goods unless it has been certified by the aeronautical authority of the State of the operator to carry the dangerous goods:

Provided that wherever the State of Operator is India, the Director General may, certify an operator for carriage of dangerous goods.

(2) No operator shall carry and no person shall cause or permit to be carried in any aircraft to, from, within or over India or deliver or cause to be delivered for loading on such aircraft any dangerous goods, except in accordance with and subject to the requirements specified in the Technical Instructions:

Provided that dangerous goods classified as explosives shall not be carried in any aircraft to, from, within or over India except in accordance with and subject to the terms and conditions of a permission in writing granted by the Central Government under rule 8 of the Aircraft Rules, 1937.

Provided further that where dangerous goods classified as radioactive material are to be carried in any aircraft to, from or within India, the operator shall ensure that the consignor or the consignee, as the case may be, has written consent of the Central

Government to carry such goods under section 16 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962):

Provided also that where there is extreme emergency such as national or international crisis or natural calamities or otherwise necessitating transportation by air of such goods and full compliance with the requirements specified in the Technical Instructions may adversely affect the public interest, the Director General or any other officer authorised in this behalf by the Central Government may, by general or special order in writing, grant exemption from complying with these requirements provided that he is satisfied that every effort has been made to achieve an overall level of safety in the transportation of such goods which is equivalent to the level of safety specified in the Technical Instructions.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), wherever India is the state of operator or state of origin, the Director General may grant approval for transportation of certain dangerous goods by air and for which Technical Instructions specify that the transportation of such goods on an aircraft or for other purposes must be authorized by an approval of the appropriate authority by the State of Origin and the State of Operator.

(4) An application for certification, permission, exemption or approval under sub-rule (1), (2) and (3), as the case may be, shall be made to the Director General in the form and **contains such particulars or documents** as specified by him along with the fee prescribed under these rules.

(5) The certification granted under sub-rule (1) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, which may be renewed for a period not exceeding five years at a time.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the articles and substances that are specifically identified by name or by generic description in the Technical Instructions as being forbidden for transport by air under any circumstances, shall not be carried on any aircraft.

(7) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to —

(a) the articles and substances classified as dangerous goods but otherwise required to be on board the aircraft in accordance with the pertinent airworthiness requirements and the operating regulations, or for such specialised purposes as are identified in the Technical Instructions.

(b) specific articles and substances carried by passengers or crew members to the extent specified in the Technical Instructions.

(8) Where dangerous goods are carried under sub-rule (2), it shall be the duty of the shipper, the operator and every person concerned with packing, marking, labelling, acceptance, handling, loading, unloading, storage, transportation or any other process connected directly or indirectly with carriage of such dangerous goods, to take all precautions to avoid danger to the aircraft or to the persons on board or to any other person or property.

4. Custody of unauthorised Dangerous Goods. — Where any officer authorised in this behalf by the Central Government has reason to believe that the provisions of this rule are, or are about to be, contravened, he may cause the dangerous goods in question to be placed under his custody pending detailed examination of the nature of the goods or pending a decision regarding the action, if any, to be taken in the matter.

5. Classification of Dangerous goods. — The dangerous goods shall be classified in accordance with the provisions of the Technical Instructions.

6. Packing. — (1) Dangerous goods shall be packed in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions in addition to the provisions of this rule.

(2) It shall be ensured that no harmful quantity of a dangerous substance adheres to the outside of the packagings used for the transport of the dangerous goods.

(3) Packagings used for the transport of dangerous goods by air shall be of good quality and shall be constructed and securely closed so as to prevent leakage which might be caused in normal conditions of transport by changes in temperature, humidity or pressure, or by vibration.

(4) The packagings shall be suitable for the contents and the packagings in direct contact with dangerous goods shall be resistant to any chemical or other action of such goods.

(5) Packagings shall meet the material and construction specifications contained in the Technical Instructions.

(6) Packagings shall be tested in accordance with the provisions of the Technical Instructions.

(7) Packagings for which retention of a liquid is a basic function, shall be capable of withstanding, without leaking, the pressure specified in the Technical Instructions.

(8) Inner packagings used for the transport of the dangerous goods shall be packed, secured or cushioned in such a manner that no breakage or leakage shall be caused and these shall also control the movement of the dangerous goods within the outer packaging(s) during normal conditions of air transport and also the cushioning and absorbent materials shall not react dangerously with the contents of the receptacles.

- (9) No packaging used for the transport of the dangerous goods shall be re-used unless,—
- (a) it has been inspected and found free from corrosion or other damage; and
 - (b) all necessary precautions have been taken to prevent contamination of subsequent contents:

Provided that where it is not possible to properly clean a packaging already used for the transport of dangerous goods, then such an uncleaned empty packaging shall be transported by air following the same procedure as laid down for the transport of the dangerous goods for which such packagings has been used earlier.

7. Labeling. — Unless otherwise provided in the Technical Instructions, each package of dangerous goods shall be labeled in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

8. Marking. — (1) Save as otherwise provided in the Technical Instructions, each package of dangerous goods shall be marked with the proper shipping name of its contents and, when assigned, the UN number and such other markings as may be specified in those Instructions.

(2) Save as otherwise provided in the Technical Instructions, each packaging manufactured to the specifications of the Technical Instructions shall be marked in accordance with the provisions of the Technical Instructions and no other packagings shall be so marked.

(3) In addition to the languages required by the State of origin, English shall also be used for the markings related to dangerous goods.

9. Shipper's responsibilities. — (1) No shipper or his agent shall offer any package or overpack of dangerous goods for transport by air unless he has ensured that such dangerous goods are not forbidden for transport by air and are properly classified, packed, marked and labeled in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(2) Unless otherwise provided in these rules, no shipper or his agent shall offer dangerous goods for transport by air unless he has completed, signed and provided to the operator a dangerous goods transport document, as specified in the Technical Instructions.

(3) The dangerous goods transport document shall bear a declaration signed by the shipper or his agent indicating that the dangerous goods are fully and accurately described by their proper shipping names and that they are classified, packed, marked, labeled and in proper condition for transport by air as per requirements of the Technical Instructions.

(4) In addition to the languages required by the State of origin, English shall also be used in the dangerous goods transport document.

(5) Where the Director General is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the shipper or his agent who has failed to discharge the shipper's responsibility, he may, for reasons to be recorded in writing, make an order directing operator not to accept the cargo from such shipper or his agent for a period specified in the said order.

10. Operator's Responsibilities. — (1) No operator shall accept dangerous goods for transport by air unless, —

(a) the dangerous goods are accompanied by a completed dangerous goods transport document, except where the Technical Instructions specify that such a document is not required; and

(b) the package, overpack or freight container containing the dangerous goods has been inspected in accordance with the acceptance procedures specified in the Technical Instructions.

(2) The operator shall ensure that an acceptance check-list as required by the Technical Instructions has been developed and is being used by his acceptance staff.

(3) Packages and overpacks containing dangerous goods and freight containers containing radioactive materials shall be inspected for evidence of leakage or damage before loading on an aircraft or into a unit load device and such packages, overpacks or freight containers shall be loaded and stowed on an aircraft in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(4) The operator shall ensure that no leaking or damaged packages, overpacks or freight containers containing dangerous goods shall be loaded on an aircraft.

(5) A unit load device shall not be loaded aboard an aircraft unless the device has been inspected and found free from any evidence of leakage from, or damage to, any dangerous goods contained therein.

(6) Where any package of dangerous goods loaded on an aircraft appears to be damaged or leaking, the operator shall remove such package from the aircraft, or arrange for its removal by an appropriate authority or organisation, as the case may be, and thereafter shall ensure that the remainder of the consignment is in a proper condition for transport by air and that no other package has been contaminated.

(7) Packages or overpacks containing dangerous goods and freight containers containing radioactive materials shall be inspected for signs of damage or leakage upon unloading from the aircraft or unit load device and if evidence of damage or leakage is found, the area where the dangerous goods or unit load device were stowed on the aircraft shall be inspected for damage or contamination.

(8) No dangerous goods shall be carried in an aircraft cabin occupied by passengers or on the flight deck of an aircraft, except those specified in sub-rule (6) of rule 3.

(9) Any hazardous contamination found on an aircraft as a result of leakage or damage to dangerous goods shall be removed without delay.

(10) An aircraft which has been contaminated by radioactive materials shall immediately be taken out of service and not returned to service until the radiation level at any accessible surface and the non-fixed contamination are not more than the values specified in the Technical Instructions.

(11) Packages containing dangerous goods which might react dangerously with one another shall not be stowed on an aircraft next to each other or in a position that would allow interaction between them in the event of leakage.

(12) Packages of toxic and infectious substances shall be stowed on an aircraft in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(13) Packages of radioactive materials shall be stowed on an aircraft so that they are separated from persons, live animals and undeveloped film, in accordance with the requirements specified in the Technical Instructions.

(14) Subject to the provisions of these rules, when dangerous goods are loaded in an aircraft, the operator shall protect the dangerous goods from being damaged, and shall secure such goods in the aircraft in such a manner that will prevent any movement in flight which would change the orientation of the packages. For packages containing radioactive materials, the securing shall be adequate to ensure that the separation requirements of sub-rule (13) are met at all times.

(15) Except as otherwise provided in the Technical Instructions, packages of dangerous goods bearing the "Cargo aircraft only" label shall be loaded in such a manner that a crew member or other authorised person can see, handle and, where size and weight permit, separate such packages from other cargo in flight.

11. Mis-declared or undeclared dangerous goods.— (1) The Operator or any other person directly or indirectly acting on his behalf for the acceptance or handling of baggage, cargo or mail, if notices or finds any mis-declared or undeclared goods, shall submit a report to the Director General.

(2) The report under sub-rule (1), in addition to such other relevant information, shall also contain the following information, namely:—

- (i) the name and address of person or operator reporting;
- (ii) the name and address of the shipper and his agent, if any;

(iii) date and location of detection of mis-declared or undeclared dangerous goods;

(iv) class or division of dangerous goods with the proper shipping name and quantity of such dangerous goods;

(3) On receipt of the report the Director General shall, if considered necessary, order an investigation to determine the causes of mis-declared or un-declared dangerous goods and take preventive measures to avoid reoccurrence of such occurrences.

12. Provision of Information. — (1) The operator of the aircraft in which dangerous goods are to be carried shall provide information in writing to the pilot-in-command as early as practicable before departure of the aircraft as required by the Technical Instructions.

(2) The operator shall provide such information in the Operations Manual so as to enable the flight crew member to carry out their responsibilities with regard to the transport of dangerous goods and shall also provide instructions as to the action to be taken in the event of emergencies arising involving dangerous goods.

(3) Operators shall ensure that information is promulgated in such a manner that passengers are warned as to the types of goods which they are forbidden from transporting aboard an aircraft as provided in the Technical Instructions.

(4) Operators, shippers or other organisations involved in the transport of dangerous goods by air shall provide such information to their personnel so as to enable them to carry out their responsibilities with regard to the transport of dangerous goods and shall also provide instructions as to the action to be taken in the event of emergencies arising involving dangerous goods.

(5) If an in-flight emergency occurs, the pilot-in-command shall, as soon as the situation permits, inform the appropriate air traffic services unit, for the information of aerodrome authorities, of any dangerous goods on board the aircraft, as provided in the Technical Instructions.

(6) In the event of an aircraft accident or a serious incident where dangerous goods carried as cargo are involved, the operator of the aircraft shall provide information, without delay, to the emergency services responding to the accident or serious incident, and, as soon as possible, to the appropriate authorities of the State of the operator and the State in which the accident or serious incident occurred, about the dangerous goods on board, as shown on the written information to the pilot-in-command.

(7) In the event of an aircraft incident, the operator of an aircraft carrying dangerous goods as cargo shall, upon request, provide information, without delay, to the emergency services responding to the incident and also to the appropriate authority of the State in which the

incident occurred, about the dangerous goods on board, as shown on the written information to the pilot-in-command.

13. Inspection. — (1) The Director General, or any other person authorised by the Central Government in this behalf by a general or special order in writing may, at any reasonable time, enter any place to which access is necessary and inspect any services, equipment, documents and records with a view to ensuring compliance with the provisions of these rules.

(2) The operator, shipper, training establishment and every other person concerned with carriage of dangerous goods shall allow the person so authorised, access to any part of the aircraft, building or any facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in exercising his powers or carrying out his duties under these rules.

(3) The Director General, or any other person authorised under sub-rule (1), may carry out investigation into alleged violations by an entity performing any function under these rules and for such investigation, the authorized person may exercise the power under sub-rule (1).

14. Dangerous Goods Accidents and Incidents. — (1) In the event of a dangerous goods accident or dangerous goods incident, as the case may be, the pilot-in-command of the aircraft and the operator of the aircraft or of the aerodrome, as the case may be, shall submit a report in writing to the Director General on such accident or incident.

(2) The report under sub-rule (1) shall, in addition to any other relevant information, contain the following information, namely: -

- (a) the type, nationality and registration marks of aircraft;
- (b) the name of the owner, operator and hirer of the aircraft;
- (c) the name of the pilot-in-command of the aircraft;
- (d) the nature and purpose of the flight;
- (e) the date and time of the dangerous goods accident or incident;
- (f) the place where the accident occurred;
- (g) the last point of departure and the next point of intended landing of the aircraft;
- (h) the details of the dangerous goods on board the aircraft viz. their proper shipping name, UN number, quantity etc.
- (i) the known cause of the dangerous goods accident or incident;
- (j) details of other cargo on board the aircraft;
- (k) the extent of known damage to the aircraft, other property and persons on board the aircraft;
- (l) any other information required to be included by the Director General.

(3) On receipt of the report under sub-rule (1), the Director General may, if considered necessary, order an investigation to determine the causes of such accident or incident and take preventive measures to avoid re-occurrence of such accident or incident.

15. Requirement of Training. — (1) No person shall engage himself in any manner in the transport of dangerous goods unless he has undergone proper training and assessment commensurate with his responsibilities.

(2) The training and assessment shall be provided or verified upon the employment of a person in a position involving the transport of dangerous goods and recurrent training shall take place within twenty-four months of the previous training and assessment.

(3) The period of validity of the training and assessment referred to in sub-rule (2) shall be twenty-four months from the date of successful completion of the training.

(4) In case of the recurrent training and assessment, the period of validity of the training and assessment shall commence from the expiry month of the previous training and assessment subject to the condition that the recurrent training has been successfully completed within a period of not more than three months prior to the validity of the previous training and assessment

(5) In cases other than those referred to in sub-rule (4), the period of validity of the recurrent training shall commence from the date of successful completion of the recurrent training.

16. Establishment and approval of Training Programme. — (1) Initial and recurrent dangerous goods training programmes shall be established and maintained by or on behalf of, —

(a) shippers of dangerous goods including packers and persons or organizations undertaking the responsibilities of the shipper;

(b) operators;

(c) ground handling agencies which perform, on behalf of the operator, the act of accepting, handling, loading, unloading, transferring or other processing of cargo;

(d) ground handling agencies located at an airport which perform, on behalf of the operator, the act of processing passengers;

(e) agencies not located at an airport, which perform on behalf of the operator, the act of checking in passengers;

(f) freight forwarders;

(g) agencies engaged in the security screening of passengers and their baggage, and cargo; and

(h) designated postal operator.

(2) Training shall be provided in the requirements commensurate with the responsibilities of the personnel being trained and such training shall include, —

- (a) general familiarization training aimed at providing familiarity with the general provisions.
- (b) Function-specific training providing detailed training in the requirements applicable to the function for which that person is responsible; and
- (c) safety training covering the hazards presented by dangerous goods, safe handling and emergency response procedure.

Notwithstanding contained in this sub-rule, the training for the staff of designated postal operator shall be commensurate with their responsibilities and the course content thereof shall be as specified in the Technical Instructions.

(3) A training programme established and maintained by or on behalf of an Indian operator, designated postal operator or by any other agency in India shall be subjected to review and approval by the Director General.

(4) The training programme established and maintained by or on behalf of a foreign operator for their own staff may be accepted as valid by the Director General on production of evidence that it has been approved by the regulatory authority of the State of the Operator.

(5) An application for grant of approval under sub-rule (3) shall be made to the Director General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee prescribed under these rules.

(6) The Director General or any other officer authorized in this behalf by the Central Government may, on being satisfied, grant approval to an organization to establish or maintain the training programme.

(7) Unless suspended or cancelled, the approval granted under sub-rule (6) shall remain valid for a period not exceeding two year, which may be renewed for a period not exceeding two year at a time.

(8) The training records of the organisation shall be maintained in a manner specified by the Director General and shall be produced on demand to the Director General or any other officer authorised by him in this behalf.

17. Approved Training Organisations. — (1) In this rule 'training organisation' refers to an organisation or a person who is engaged in conducting training on dangerous goods regulations for the personnel engaged by or the employees of the entities or agencies, as

the case may be, involved in safe transport of dangerous goods by air to enable them to attain the competency commensurate with their responsibilities.

(2) A training organization shall have the requisite infrastructure, adequate facilities, qualified and trained manpower including post holder, instructor and assessor, as may be specified by the Director General.

(3) Instructor, assessor and post holder shall possess the qualifications and experience as specified by the Director General.

(4) An application for grant of approval of training organization shall be made to the Director General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee prescribed under these rules.

(5) The Director General may, on being satisfied that all the requirements pertaining to the setting up of a Training Organization have been complied with, grant an approval to the Training Organization subject to such conditions as may be specified in the approval.

(6) The approval of training organization shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period not exceeding five years at a time;

(7) The training organization shall not impart training beyond their scope of approval unless their scope of approval is extended by the Director General.

(8) An application for grant of extension of scope of approval shall be made to the Director General in such form and contain such particulars or documents as may be specified by him along with the fee prescribed under these rules and the Director General on being satisfied that the specified requirements have been complied with, may grant approval for extension of scope, as deemed fit. Any such extension will only be valid up to the date of validity of the original approval.

(9) The training records of the organisation shall be maintained in a manner specified by the Director General and shall be produced on demand to the Director General or any other officer authorised by him in this behalf.

(10) An approved training organization shall revise its manuals from time to time whenever necessary in the manner and procedures as specified by the Director General.

18. Fee. — (1) The following fees shall be payable for:

(A) Certification for carriage of dangerous goods and renewal thereof under sub-rule (1) of rule 3,-

(i) For Scheduled Operator: Rupees two Lakh for certification and rupees one lakh for renewal of certification

(ii) Other than Scheduled Operator: Rupees one lakh for certification and rupees fifty thousand for renewal of certification

(B) Exemption in extreme emergency under proviso of sub-rule (2) of rule 3 : Twenty-five thousand rupees per exemption

(C) Grant of approval for transportation of dangerous goods under sub-rule (3) of rule 3 : Five thousand rupees

(D) (i) Grant of approval of training programme under sub-rule (6) of rule 16

(a) fifty employees : Ten thousand rupees

(b) more than fifty and upto two hundred employees: Twenty-five thousand rupees

(c) more than 200 employees: Fifty thousand rupees

(ii) The fee for renewal of approval under sub-rule (6) of rule 16 shall be fifty per cent of the fee payable under clause (i).

(E) Grant and renewal of approval of training organization under sub-rule (4) of rule 17:

(i) for grant of approval : One lakh per station

(ii) for renewal of approval : Fifty thousand rupees per station

(F) Extension of scope under sub-rule (8) of rule 17: Fifty Rupees per station

(2) The fee shall be paid electronically in the manner specified by the Director General.

19. Directions by Director-General. — (1) The Director General may, through Aeronautical Information Circulars (AICs) and publication entitled Civil Aviation Requirements (CARs), issue special directions, not inconsistent with the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) or these rules, relating to packing, marking, labelling, acceptance, handling, loading, unloading, storage, training and any other process or procedure connected directly or indirectly with the carriage of dangerous goods by air.

(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule (1) shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued.

(4) The Director-General may, by general or special order in writing, exempt any aircraft or class of aircraft or any person or class of persons from the operation of the directions given in the publication entitled Civil Aviation Requirements under this rule, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

20. Cancellation or suspension of licence, certificate and approval. — Where the Director General or any officer authorized in this behalf by the Central Government, after giving an opportunity of being heard, is satisfied that any person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules or any direction issued under rule 19, he may, for reasons to be recorded in writing, impose any restriction or suspend or cancel any licence, certificate or approval issued under these rules or under the Aircraft Rules, 1937.

21. Appeals. — (1) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer appeals in accordance with the provisions of the section 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024).

(2) An appeal shall be made to the First Appellate Officer or Second Appellate Officer, as the case may be, in the Form A of the Schedule along with the supporting documents and fee of one thousand rupees in the manner as specified by the Director General.

(3) Such Appellate Officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the appeal.

(4) The appellate officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appellate against.

(5) The copy of appellate order so passed by appellate officer shall be provided to the appellant.

22. Offences. — Any person who has breached any provision of these rules shall be punishable in accordance with the sub-section (1) of the section 25 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

23. Imposition of Financial Penalty. — (1) Any person who has contravened any rule as specified in Schedule of these rules, shall be liable for imposition of penalty in accordance with the provisions of section 32 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024.

(2) The penalty shall be adjudicated by the designated officers or the appellate officer, as the case may be, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

24. General Power to exempt. —The Central Government may exempt any aircraft or class of aircraft or any person or class of persons from the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such conditions; if any, in accordance with the provisions of section 20 of the Act.

25. Delegation of power. — (1) The powers exercisable by the Central Government under these rules may also be exercisable by the Director General or any other officer specifically empowered in this behalf by the Central Government, in accordance with the provisions of section 21 of the Act.

(2) The powers exercisable by the Director General under these rules may also be exercisable by any other officer specifically empowered in this behalf by the Central Government, in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 3 of the Act.

26. Repeal and Savings. —The Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003 stand repealed, except as respects things done or omitted to be done before such repeal including any notification, inspection or order made or issued; or any license, certificate, approval, permission or exemption granted; or any document or instrument executed; or any direction issued; or any proceedings taken or any penalty, punishment, forfeiture or fine imposed under these rules so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024).

SCHEDULE

(See rule 23)

Penalties

1. Classification of severity levels of contravention and penalty thereof: —

Table 1

SI. No.	Severity Level (in rupees)	Individual	Organisation (Small)	Organisation (Medium)	Organisation (Large)
			Up to fifty employees	More than fifty and up to one hundred employees	More than one hundred employees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Level 1	Ten Thousand	Fifty Thousand	Seventy-five Thousand	One Lakh
2.	Level 2	Twenty Thousand	One Lakh	One Lakh Fifty Thousand	Two Lakh Fifty Thousand
3.	Level 3	Fifty Thousand	Two Lakh	Three Lakh	Five Lakh
4.	Level 4	Seventy-five Thousand	Three Lakh	Five Lakh	Ten Lakh

5.	Level 5	One Lakh Fifty Thousand	Five Lakh	Ten Lakh	Twenty Lakh
6.	Level 6	Three Lakh	Seven Lakh Fifty Thousand	Fifteen Lakh	Thirty Lakh
7.	Level 7	Five Lakh	Ten Lakh	Twenty-five Lakh	Fifty Lakh
8.	Level 8	Ten Lakh	Twenty Lakh	Thirty-five Lakh	Seventy Lakh
9.	Level 9	Twenty Lakh	Thirty-five Lakh	Fifty Lakh	Eighty-five Lakh
10.	Level 10	Twenty-five Lakh	Fifty Lakh	Seventy-five Lakh	One Crore

Note: — (1) “Individual” means a natural person.

(2) “Organisation” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

2. Contravention of rule(s) and severity level thereof, for determination of penalty amount by the designated officers or the appellate officer, as the case may be.

Table 2

Sl. No.	Nature of contravention	Relevant rule (s)	Severity level of contravention/ violation/ non-compliance
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 3	Sub-rule (1) of rule 3	Level 10
2.	Contravention of sub-rule (2) of rule 3	Sub-rule (2) of rule 3	Up to level 8
3.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 3	Sub-rule (6) of rule 3	Level 9
4.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 3	Sub-rule (8) of rule 3	Level 5
5.	Non-compliance of rule 5	Rule 5	Level 6
6.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 6	Sub-rule (1) of rule 6	Level 6
7.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 6	Sub-rule (2) of rule 6	Level 5
8.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 6	Sub-rule (3) of rule 6	Level 6
9.	Non-compliance of sub-rule (4) of rule 6	Sub-rule (4) of rule 6	Level 4
10.	Non-compliance of sub-rule (5) of rule 6	Sub-rule (5) of rule 6	Level 6
11.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 6	Sub-rule (6) of rule 6	Level 6
12.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 6	Sub-rule (7) of rule 6	Level 7
13.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 6	Sub-rule (8) of rule 6	Level 6
14.	Contravention of sub-rule (9) of rule 6	Sub-rule (9) of rule 6	Level 8
15.	Non-compliance of rule 7	Rule 7	Level 4
16.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 8	Sub-rule (1) of rule 8	Level 5
17.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 8	Sub-rule (2) of rule 8	Level 5
18.	Contravention of sub-rule (1) of rule 9	Sub-rule (1) of rule 9	Level 8
19.	Contravention of sub-rule (2) of rule 9	Sub-rule (2) of rule 9	Level 5
20.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 9	Sub-rule (3) of rule 9	Level 6
21.	Contravention of sub-rule (1) of rule 10	Sub-rule (1) of rule 10	Up to level 8
22.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 10	Sub-rule (2) of rule 10	Level 2
23.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 10	Sub-rule (3) of rule 10	Level 5
24.	Non-compliance of sub-rule (4) of rule 10	Sub-rule (4) of rule 10	Level 6
25.	Non-compliance of sub-rule (5) of rule 10	Sub-rule (5) of rule 10	Level 5
26.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 10	Sub-rule (6) of rule 10	Level 7
27.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 10	Sub-rule (7) of rule 10	Level 5

28.	Contravention of sub-rule (8) of rule 10	Sub-rule (8) of rule 10	Up to Level 6
29.	Non-compliance of sub-rule (9) of rule 10	Sub-rule (9) of rule 10	Level 6
30.	Non-compliance of sub-rule (10) of rule 10	Sub-rule (10) of rule 10	Level 8
31.	Non-compliance of sub-rule (11) of rule 10	Sub-rule (11) of rule 10	Level 6
32.	Non-compliance of sub-rule (12) of rule 10	Sub-rule (12) of rule 10	Level 7
33.	Non-compliance of sub-rule (13) of rule 10	Sub-rule (13) of rule 10	Level 8
34.	Non-compliance of sub-rule (14) of rule 10	Sub-rule (14) of rule 10	Up to level 6
35.	Non-compliance of sub-rule (15) of rule 10	Sub-rule (15) of rule 10	Level 6
36.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 11	Sub-rule (1) of rule 11	Level 4
37.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 12	Sub-rule (1) of rule 12	Level 7
38.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 12	Sub-rule (2) of rule 12	Level 6
39.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 12	Sub-rule (3) of rule 12	Level 6
40.	Non-compliance of sub-rule (4) of rule 12	Sub-rule (4) of rule 12	Level 6
41.	Non-compliance of sub-rule (5) of rule 12	Sub-rule (5) of rule 12	Level 4
42.	Non-compliance of sub-rule (6) of rule 12	Sub-rule (6) of rule 12	Level 5
43.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 12	Sub-rule (7) of rule 12	Level 5
44.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 13	Sub-rule (2) of rule 13	Up to Level 6
45.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 14	Sub-rule (1) of rule 14	Level 4
46.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 14	Sub-rule (2) of rule 14	Level 2
47.	Contravention of sub-rule (1) of rule 15	Sub-rule (1) of rule 15	Level 1
48.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 15	Sub-rule (2) of rule 15	Level 2
49.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 16	Sub-rule (1) of rule 16	Level 1
50.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 16	Sub-rule (8) of rule 16	Level 2
51.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 17	Sub-rule (2) of rule 17	Level 4
52.	Non-compliance of sub-rule (7) of rule 17	Sub-rule (7) of rule 17	Level 3
53.	Non-compliance of sub-rule (9) of rule 17	Sub-rule (9) of rule 17	Level 3
54.	Non-compliance of sub-rule (10) of rule 17	Sub-rule (10) of rule 17	Level 2
55.	Non-compliance with directions issued under rule 19	Sub-rule (3) of rule 18	Up to Level 6. In case penalty has already been provided in any rule for the same contravention, then, the penalty as specified for that rule shall prevail.

3. Procedure for adjudication of penalty by designated/ appellate officers. —

(a) The designated officer upon his satisfaction that a person has contravened any of the rule as specified in the Table 2 under paragraph 2 above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with Tables 1 and 2 under paragraphs 1 and 2 respectively, upon such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with the demand notice.

(b) The designated officer shall not proceed for imposition of penalty against a person, where it comes to his notice that an action under the Act and these rules has been initiated for contravention of same rule on same cause of action.

(c) A copy of penalty order passed along with the demand notice by the designated officer shall be served upon such person by a recognised mode of service.

(d) The person aggrieved by the order issued under clause (a), may prefer appeal in accordance with the provisions of rule 20 of these rules.

(e) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the concerned designated officer.

(f) The designated officer, within thirty days from the date of the receipt of such final order passed by the appellate officer(s), shall grant the effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.

(h) The penalty thus imposed shall be paid electronically by such person in the manner as laid down by the Director-General within thirty days of the service of demand notice upon the person.

(i) In case the person on whom the penalty is imposed fails to pay such amount of penalty within the time as stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any licence, certificate, authorisation, permit or approval, as the case may be, may be initiated under these rules.

FORM A (See rules 21 and 23) Form of appeal (First/Second) to the Appellate Officer		
1.	Name(s) of the Appellant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	Order No. with Date, against which the appeal is preferred (copy of the order to be enclosed)	
6.	Name and Post of the officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	
8.	Operative part of order	
9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days Limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of Appeal	
13.	Prayer of the Appellant	
14.	Fee and transaction details	
15.	Other details with supporting documents, if any	

Verification

I _____, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Appellant

Date:

Place:

[F. No. AV-11012/4/2025-DG]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.